न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 195 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये मोहन लाल देव प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शोभाराम लालवानी, केयर आफ दुकान नं. 27, राधास्वामी गैस सर्विस, थडी मार्केट, मानसरोवर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 20.6.22
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

ब) श्री धीरेन्द्र सिंह राजावत अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री मोहन लाल देव द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी अशोक कुमार पर दिनांक 14.12.2009 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 34 छोटे नोन आईएसआई मार्का के खाली सिलेण्डर्स को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 12.04.2010 को अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह राजावत ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी / अभिभाषक को कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी / अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी / अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 30.05.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2009 को अप्रार्थी की दुकान राधास्वामी गैस सर्विस, मानसरोवर पर जांच कार्यवाही कर कुल 34 छोटे नोन आईएसआई मार्का के खाली सिलेण्डर जब्त किये गये। अप्रार्थी ने दौराने जब्ती बताया कि उसने जिला रसद अधिकारी कार्यालय से नीलामी में 73 सिलेण्डर लिये थे जिनमें से उक्त 34 सिलेण्डर 4–5 किग्रा. क्षमता के बचे है, शेष को नष्ट कर दिया गया है। कार्यालय से नीलामी रिपोर्ट एवं कार्यवाही की जानकारी लेने पर स्पष्ट हुआ कि वक्त नीलामी नोन आईएसआई होने के कारण सिलेण्डरों का नोजल निकालकर गैस आउट करवाकर तथा क्रश करवाकर श्री अशोक कुमार को दिये गये थे जबकि वक्त जांच नोन आईएसआई मार्का के छोटे घरेलू गैस सिलेण्डर दुरुपयोग की मंशा से अवैध रुप से संग्रहित पाये गये। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त सिलेण्डर अवैध थे और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थी का जवाब प्राप्त नहीं होने, साक्ष्य सबूत पेश नही करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

32

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 34 छोटे नोन आईएसआई मार्का के खाली सिलेण्डर शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर